1.

आरक्षित

उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल

रिट याचिका संख्या 872/2011 (एस/एस)

श्री हर सिंह गुसाई पुत्र श्री मंगल सिंह

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, भीमताल

नैनीताल में आशुलिपिक के रूप में तैनात

……. याचिकाकर्ता

बनाम

1. उत्तराखंड राज्य द्वारा सचिव ग्रामीण विकास, उत्तराखंड सरकार, देहरादून

२- उपायुक्त (प्रशासन) ग्रामीण विकास, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल

3-मुख्य विकास अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, नैनीताल

.....प्रतिवादी

और

रिट याचिका संख्या 1101/2011 (एस/एस)

अनिल कुमार जैन

पुत्र श्री बिमल प्रसाद जैन

अन्वेषक (तकनीकी) के रूप में तैनात

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हरिद्वार

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1-उत्तराखंड राज्य द्वारा सचिव ग्रामीण विकास, उत्तराखंड सरकार, देहरादून

2- उपायुक्त (प्रशासन) ग्रामीण विकास, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल

3- मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार

....प्रतिवादी

श्री सी. डी. बहुगुणा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ए. के. वर्मा, अधिवक्ता की सहायता से, याचिकाकर्ताओ की ओर से उपस्थित ।

श्री ए. एस. रावत, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री सुभाष उपाध्याय, स्थायी अधिवक्ता की सहायता से, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित ।

माननीय प्रफुल्ल सी. पंत, न्यायाधीश,

माननीय सुधांशु धूलिया, न्यायाधीश,

माननीय सर्वेश कुमार गुप्ता, न्यायाधीश

मौखिक: माननीय प्रफुल्ल सी. पंत, न्यायाधीश

उपरोक्त दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने एक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (संक्षेप में डी. आर. डी. ए.) से दूसरे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में अपने स्थानांतरण आदेशों को चुनौती दी है।

2- पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना, और अभिलेख पर दस्तावेजों को पढ़ा।

3- संक्षिप्त तथ्य यह है कि रिट याचिकाकर्ता [रिट याचिका सं:- 872/2011 (एस/एस)] हर सिंह गुसाई को शुरू में जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष डी. आर. डी. ए., नैनीताल द्वारा जूनियर क्लर्क के रूप में पत्रांक दिनांक 02-03-1987 द्वारा नियुक्त किया गया था। बाद में, उन्हें मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष डी. आर. डी. ए., नैनीताल द्वारा दिनांक 28-02-1992 के आदेश के अनुसार आशुलिपिक के रूप में

पदोन्नत किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 उप- ग्रामीण विकास आयुक्त (प्रशासन), पौड़ी गढ़वाल द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 11-07-2011 द्वारा उसका स्थानांतरण डी.आर.डी.ए. नैनीताल से डी.आर.डी.ए. चंपावत कर दिया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त रिट याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई है कि एक डी. आर. डी. ए. के कर्मचारी को दूसरे में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

4- रिट याचिका संख्या- 1101/2011 (एस/एस) का तथ्य यह है कि रिट याचिकाकर्ता अनिल कुमार जैन को जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष डी. आर. डी. ए., हरिद्वार के आदेश दिनांक 02-02-1990 द्वारा अन्वेषक (तकनीकी)/सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त नियुक्ति पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नियुक्त व्यक्ति (अनिल कुमार जैन) की सेवाएं राज्य के भीतर किसी भी जिले में स्थानांतरित की जा

सकती हैं। वह प्रतिवादी सं.-2 उप- आयुक्त (प्रशासन) ग्रामीण विकास, पौड़ी गढ़वाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2011 से व्यथित है, जिसके तहत उक्त रिट याचिकाकर्ता को डी. आर. डी. ए., हरिद्वार से डी. आर. डी. ए. अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस रिट याचिकाकर्ता ने अपने स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर भी चुनौती दी है कि उन अन्य बातों के साथ साथ सेवाएं एक डी. आर. डी. ए. से दूसरे डी. आर. डी. ए. में स्थानान्तरणीय नहीं हैं। इन दोनों रिट याचिकाओं की सुनवाई पहले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की जा रही थी।

5- रिट याचिका सं- 872/2011 (एस/एस) में, दिनांक 20-06-2012 के आदेश के माध्यम से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि इस न्यायालय की खंड पीठों के परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए, यह मुद्दा कि क्या डी. आर. डी. ए. एक स्वायत्त निकाय है, और क्या एक डी. आर. डी. ए. के कर्मचारी को दूसरे डी. आर. डी. ए. में स्थानांतरित किया जा

सकता है, को बड़ी पीठ द्वारा हल करने की आवश्यकता है। रिट याचिका सं-1101/2011 (एस/एस) में यह निर्देश दिया गया था कि रिट याचिका सं.-872/2011 (एस/एस) के आदेश को देखा जाए।

6- माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक-25-06-2012 के माध्यम से इस पीठ का गठन किया जिसके समक्ष मामला भेजा गया और रिट याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

7- न्यायालय के नियमों (उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर लागू) के अध्याय 5 के नियम 6 में यह प्रावधान है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश किसी मामले या किसी पीठ द्वारा तैयार किए गए कानून के किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए दो या दो से अधिक न्यायाधीशों की पीठ का गठन कर सकते हैं। इसमें अग्रेतर यह प्रावधान किया गया है कि बाद में तैयार किए गए प्रश्न पर ऐसी पीठ का निर्णय मामले की सुनवाई करने वाली पीठ को वापस कर

दिया जाएगा और वह पीठ ऐसे प्रश्न के उस निर्णय का पालन करेगी और उसमें उत्पन्न होने वाले शेष प्रश्न का निर्णय लेने के पश्चात मामले का निपटारा करेगी। वर्तमान मामले में प्रश्नों का कोई औपचारिक सूत्रीकरण नहीं है, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण उपरोक्त मुद्दे को एक बड़ी पीठ द्वारा हल करने की आवश्यकता है, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इस पीठ का गठन करके मामले को भेजा है।

8- वर्तमान मामले में जिन दो प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है, उन्हें निम्नानुसार तैयार किया जा सकता हैः-

I. क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी. आर. डी. ए.) एक स्वायत्त निकाय है या नहीं?

II. क्या एक डी. आर. डी. ए. के कर्मचारी को राज्य के भीतर दूसरे डी. आर. डी. ए. में स्थानांतरित किया जा सकता है?

प्रश्न सं.-1 का उत्तर :-

9- 'स्वायत्त' शब्द, जैसा कि वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है, का अर्थ है अपने स्वयं के कानूनों के अंतर्गत रहना या स्वतंत्र होना या स्वशासन का अधिकार या शक्ति होना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (दूसरा संस्करण) खंड-I 'स्वायत्त' शब्द के अर्थ को _ _ _ बनाने या अपने स्वयं के कानून या स्वतंत्र होने के रूप में बताता है। अब, हम डी. आर. डी. ए. के गठन के उद्देश्य और इसकी प्रकृति और कार्यों की जांच करना चाहेंगे, यह मानने से पहले कि क्या इसे स्वायत्त कहा जा सकता है या नहीं।

10- डी. आर. डी. ए. की अवधारणा को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बनाए रखने में सक्षम एक विशेष और पेशेवर एजेंसी के रूप में देखा गया था और इन्हें जिले में गरीबी उन्मूलन के सभी प्रयासों से प्रभावी ढंग से जोड़ा गया था। दूसरे शब्दों में, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए धन का प्रभावी उपयोग

सुनिश्चित करने के लिए एक डी. आर. डी. ए. की आवश्यकता होती है। डी. आर. डी. ए. से अपेक्षा की जाती है कि वे गरीबी के लिए आवश्यक सहायता और संसाधन जुटाने के लिए संबंधित विभाग, पंचायती राज संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय करें। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार डी आर डी ए की भूमिका और कार्य बताते हैं कि डी आर डी ए अपनी अलग पहचान बनाए रखेगा लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करेगा। और, जिला परिषद की अनुपस्थिति में डी. आर. डी. ए., जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टी मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करेगा, जैसा भी मामला हो।

11- यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 'ग्रामीण विकास' शब्द को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में से किसी में भी जगह नहीं मिलती है, लेकिन

'ग्रामीण विकास' के लिए बनाई गई योजनाएं न केवल राज्य सूची के कई विषयों को शामिल करती हैं जैसे कि मद संख्या- 14, 15, 17 और 21 लेकिन समवर्ती सूची के मद संख्या-20,29,38 भी। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के प्रावधान के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के प्रावधान के साथ पठित अनुच्छेद 246 के खंड (2) द्वारा सीमित हैं।

12- डी. आर. डी. ए. के प्रशासन के मुद्दे पर, भारत सरकार द्वारा बनाए गए 'नियमों' में यह प्रावधान है कि डी. आर. डी. ए. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक पंजीकृत सोसायटी होगी या जिला परिषद में एक अलग प्रकोष्ठ होगा जिसकी अलग पहचान होगी। 'विनियम' में अग्रेतर यह प्रावधान है कि जिला परिषद का अध्यक्ष डी. आर. डी. ए. के शासी निकाय का अध्यक्ष होगा। यद्यपि कार्यकारी और वित्तीय कार्य जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी/जिला कलेक्टर के पास होंगे जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। इसमें अग्रेतर यह प्रावधान किया गया है कि जब भी जिला परिषद अस्तित्व में नहीं हैं या कार्यात्मक नहीं हैं, तो डी. आर. डी. ए., कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर के अंतर्गत कार्य करेंगे, जैसा भी मामला हो। शासी निकाय की संरचना में जिला परिषद के अध्यक्ष के अलावा संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, जिला मजिस्ट्रेट, सहकारी बैंकों के प्रमुखों, जिला प्रमुख बैंकों, नाबार्ड के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों आदि को अभ्यावेदन का अधिकार है। 'विनियमन' के अध्याय 5 के पैरा 5 का प्रावधान है कि डी. आर. डी. ए. की सभी कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित की जाने वाली वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल की योजना के अनुसार कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित की जाने वाली वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों का

प्रत्यायोजन, और यह समिति (अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से) डी. आर. डी. ए. के सभी मामलों में शासी निकाय के साथ-साथ सरकार के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह होगी।

13- कार्यात्मक प्रक्रियाओं पर भारत सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों के अध्याय VI में प्रावधान है कि 'डी. आर. डी. ए. प्रशासन' की योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक निधियों को केंद्र और राज्य के बीच 75: 25 के अनुपात में साझा किया जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार धन सीधे डी. आर. डी. ए. को जारी किया जाएगा।

14- भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए विनियमों में उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि हालांकि प्रत्येक जिले के डी. आर. डी. ए. को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है, लेकिन इसे एक स्वायत्त निकाय

नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पास स्वशासन के लिए कोई कानून या नियम बनाने की शक्तियां नहीं हैं।

15- इसलिए, हम प्रश्न संख्या-1 का नकारात्मक उत्तर देते हैं।

प्रश्न सं. II का उत्तर:-

16- डी. आर. डी. ए. के कामकाज के संबंध में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी 'विनियमों' में डी. आर. डी. ए. के संगठनात्मक ढांचे से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले की अपनी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी होगी, और आम तौर पर यह एक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी होगी। यह अग्रेतर प्रावधान करता है कि राज्य सरकार डी. आर. डी. ए. की संरचना को उपयुक्त रूप से संशोधित कर सकती है, लेकिन बुनियादी डिजाइन में बदलाव किए बिना, अलग-अलग जिलों की जरूरतों को उनके आकार के साथ-साथ विशिष्टता को ध्यान में रखते

हुए ध्यान रख सकती है। विनियमों में अग्रेतर यह प्रावधान है कि डी. आर. डी. ए. में नियुक्त कर्मचारियों को डी. आर. डी. ए. से संबंधित कार्यों के लिए समर्पित होना चाहिए और उनका बार-बार तबादला नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक डी. आर. डी. ए. की सात शाखाएँ होनी चाहिए-(1) स्व-रोजगार शाखा (2) महिला शाखा (3) वेतन रोजगार शाखा (4) इंजीनियरिंग शाखा (5) लेखा शाखा (6) निगरानी और मूल्यांकन शाखा, और (7) मुख्य प्रशासनिक शाखा।

17- विनियमन में डी. आर. डी. ए. की कार्मिक नीति से संबंधित अध्याय में प्रावधान है कि नीति के रूप में डी. आर. डी. ए. में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। विशिष्ट अवधि के लिए डी. आर. डी. ए. में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को लेने से कर्मचारियों की बेहतर पसंद का लाभ होता है। शुरुआत में, डी. आर. डी. ए. को अब कोई सीधी भर्ती करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह अग्रेतर परियोजना निदेशक और ए. पी. ओ. स्तर के अधिकारियों के

चयन का तरीका प्रदान करता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि 1 अप्रैल 1999 से योजनाओं के अनुसरण में भारत सरकार के निर्देशों वाले 'विनियम' वर्ष 2002 में प्रकाशित किए गए थे।

18- रिट याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ बनाम डॉ. सुभाष चंद्र यादव, ए. आई. आर. 1998 एससी-876 का मामला भेजा गया, और तर्क दिया कि एक छावनी बोर्ड के कर्मचारी को एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, इसलिए डी. आर. डी. ए. के कर्मचारियों को भी एक डी. आर. डी. ए. से दूसरे में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, हमारा विचार है कि छावनी बोर्डों की स्थिति निस्संदेह स्वायत्त निकायों की है क्योंकि उनके पास स्वशासन की कुछ शक्तियाँ हैं, लेकिन डी. आर. डी. ए. की तुलना छावनी बोर्डों के साथ नहीं की जा सकती है क्योंकि उन्हें एक स्वायत्त निकाय नहीं कहा जा सकता है उन कारणों के लिए

जिनका जिक्र पहले ही प्रश्न-1 के उत्तर में किया जा चुका है।

19- इसी तरह, **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाम डॉ. के. एस. जवटकर** ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1577 के केस में निर्धारित कानून का सिद्धान्त, जिसे रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से संदर्भित किया गया है, उनके लिए इस कारण से कोई मदद नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय के विपरीत, जो अलग-अलग कानूनों के अंतर्गत स्वायत्त निकाय हैं, डी. आर. डी. ए. को ऐसा कोई दर्जा नहीं है।

20- इस न्यायालय की खंड पीठों के परस्पर विरोधी विचार भी हमारे सामने रखे गए हैं और प्रतिद्वंदी दलों द्वारा उन पर भरोसा किया जाता है। रिट याचिकाकर्ताओं ने विशेष अपील संख्या 43/2009, उत्तराखंड राज्य बनाम मोहन लाल में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित 16.04.2010

के निर्णय और आदेश पर भरोसा किया। उक्त निर्णय में खण्ड पीठ ने पैरा 4 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

"यह विवादित नहीं है कि प्रत्येक जिले में एक डी. आर. डी. ए. है जो एक अलग और स्वतंत्र निकाय है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। इस प्रकार, डी. आर. डी. ए., उधम सिंह नगर और डी. आर. डी. ए., अल्मोड़ा दोनों स्वतंत्र पंजीकृत सरकारी समितियाँ हैं। एक समाज के अधिकारियों को दूसरे समाज में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार का न तो डी. आर. डी. ए. के अधिकारियों पर कोई व्यापक नियंत्रण है और न ही उसे डी. आर. डी. ए. के किसी कर्मचारी को दूसरे जिले में स्थानांतरित करने का कोई अधिकार है। हमारे विचार में, माननीय एकल न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 26.09.2008 के माध्यम से विवादित स्थानांतरण आदेश को सही ढंग से अपास्त कर दिया है।"

21- दूसरी ओर, उत्तरदादाओ की ओर से रिट याचिका संख्या- 147/2009 (एस/बी), 115/2008 (एस/बी) में इस न्यायालय की दो खंड पीठों द्वारा दिए गए प्रतिवादी निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष पढ़ा जाता है। दोनों में, निर्णय और आदेश दिनांक 27-12-2010, रिट याचिका सं.- 147/2009 (एस/बी) में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित, तथा निर्णय और आदेश दिनांक 09.09.2008 रिट याचिका सं. 115/2008 (एस/बी) रवींद्र कुमार राजवार बनाम उत्तराखंड राज्य में इस न्यायालय की एक अन्य खण्ड पीठ द्वारा पारित, इसी आधार पर रिट याचिककर्ताओ के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण आदेश को बरकरार रखा गया है। इन दोनों मामलों में रिट याचिकाकर्ताओं को शुरू में पहाड़ी जिलों के डी. आर. डी. ए. में नियुक्त किया गया था। जब उन्हें उनके मूल डी. आर. डी. ए. से मैदानी जिले में स्थानांतरित किया गया, तो उन्होंने स्थानांतरण आदेशों को तुरंत स्वीकार कर लिया, और उनका पालन किया, लेकिन जब उन्हें मैदानी जिले के डी. आर. डी.

ए. से पहाड़ी जिलों के डी. आर. डी. ए. में स्थानांतरित किया गया, तो उन्होंने अपने स्थानांतरण आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि डी. आर. डी. ए. एक स्वतंत्र निकाय हैं और उनकी सेवाएं स्थानांतरणीय नहीं हैं। दोनों ही मामलों में इस न्यायालय की खंड पीठों ने यह विचार व्यक्त किया कि चूंकि अपने पहले के स्थानांतरण आदेशों में, रिट याचिकाकर्ताओं (उक्त मामलों के) ने अपने स्थानांतरण को वैध स्वीकार कर लिया था, और अपने मूल डी. आर. डी. ए. से पहले के स्थानांतरण आदेशों का पालन किया था, इसलिए उनके लिए बाद के स्थानांतरणों को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार नहीं था कि उनकी सेवाएं स्थानांतरणीय नहीं थीं।

22- वर्तमान रिट याचिकाओं में दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपने मूल डी. आर. डी. ए. से उनके स्थानांतरण आदेशों को चुनौती दी है, जहां उन्हें नियुक्त किया गया था, जैसे कि एस्टोपल का सिद्धान्त जो रिट याचिका सं.- 147/2009

(एस/बी) के रिट याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लागू किया गया था, और रिट याचिका सं-115/2008 (एस/बी) उनके (वर्तमान याचिकाकर्ताओं) के विरुद्ध लागू नहीं होता है। हमारे मत में रिट याचिका सं.-147/2009 (एस बी) प्रेम प्रकाश टम्टा बनाम उत्तराखंड राज्य में लिया गया निर्णय दिनांक 27.12.2010 को निर्णय हुआ, और रिट याचिका सं.-115/2008 (एस/बी) रवींद्र कुमार राजवार बनाम उत्तराखंड राज्य, 09-09-2008 को निर्णय हुआ, उक्त मामलों की परिस्थितियों में, सही है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त दृष्टिकोण उस मामले में लागू किया जा सकता है जहां एक कर्मचारी को पहली बार मूल डी. आर. डी. ए. से स्थानांतरित किया जा रहा है जहां उसे नियुक्त किया गया था।

23- उत्तर प्रदेश सरकार (उत्तराखंड राज्य पर लागू) द्वारा जारी <u>सरकारी आदेश संख्या-2350/30-1-94-41 P-92 ग्रामीण विकास धारा- 1 लखनऊ, दिनांक 17.03.1994 के</u>

पैरा 13 में यह प्रावधान है कि जिस पद पर उनके महामहिम राज्यपाल या ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त डी. आर. डी. ए. में नियुक्ति प्राधिकरण हैं, उन्हें एक डी. आर. डी. ए. खंड दूसरे डी. आर. डी. ए. में स्थानांतरित किया जा सकता है। सरकारी आदेश स्वतंत्र है और वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, और न ही हमें कोई केस ला दिखाया गया है जिसमें सरकारी आदेश में उपरोक्त खंड को किसी भी न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया हो। इस प्रकार सरकारी आदेश का उपरोक्त पैरा अभी भी अच्छा है। सरकारी आदेश दिनांक 17.03.1994 का परिशिष्ट उन पदों को वर्गीकृत करता है जिनमें राज्यपाल या ग्रामीण विकास आयुक्त, नियुक्ति अधिकारी हैं। सरकारी आदेश के परिशिष्ट में अग्रेतर बताया गया है कि जूनियर क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, आशुलिपिक, चालक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में न तो महामहिम राज्यपाल और न ही ग्रामीण विकास आयुक्त नियुक्ति प्राधिकरण हैं। रिट रिट याचिका सं-872/2011 में याचिकाकर्ता हरि सिंह गुसाई

एक आशुलिपिक है जिसका नियुक्ति प्राधिकारी न तो राज्यपाल था और न ही ग्रामीण विकास आयुक्त, इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी सेवाएं डी. आर. डी. ए. से स्थानान्तरणीय थीं जिसमें उसे मूल रूप से नियुक्त किया गया था, जब तक कि वह इसके लिए सहमति नहीं देता है, या यह असाधारण कारणों से आवश्यक हो गया है कि उसका स्थानांतरण किया जाए। रिट याचिका सं.-872/2011 (एस/एस) के संबंध में दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है।

24- लेकिन रिट याचिका संख्या-1101/2011 (एस एस) के याचिककर्ता अनिल के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, जो डी. आर. डी. ए., हरिद्वार में सहायक अभियंता/अन्वेषक (तकनीकी) है। सरकारी आदेश सं. 2350/30-1-94-41 पी-92 ग्रामीण विकास धारा 1 लखनऊ, दिनांक 17.03.1994 का परिशिष्ट प्रदान करता है कि सहायक अभियंता के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकरण

महामहिम राज्यपाल हैं क्योंकि उनकी सेवाये एक डी. आर. डी. ए. खंड से दूसरे डी. आर. डी. ए. में स्थानांतरण योग्य हैं जैसा कि सरकारी आदेश के पैरा 13 में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि इस फैसले के पैरा 4 में चर्चा की गई है, श्री अनिल कुमार जैन ने उस नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है जिसमें राज्य के भीतर उनका स्थानांतरण किया जा सकता है।

25- हम सोचते हैं कि यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डी. आर. डी. ए. की संगठनात्मक संरचना से संबंधित अध्याय 2 के पैरा 2 में बनाए गए 'विनियमों' में यह प्रावधान है कि डी. आर. डी. ए. में नियुक्त कर्मचारियों को डी. आर. डी. ए. से संबंधित कार्यों के लिए समर्पित होना चाहिए और उनका बार-बार तबादला नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान यह भी इंगित करता है कि एक डी. आर. डी. ए. के कर्मचारी को मात्र असाधारण परिस्थितियों में ही दूसरे डी. आर. डी. ए. में

स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए, हमारे मत में जहां डी. आर. डी. ए. के कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति का अधिकार न तो राज्यपाल को है और न ही ग्रामीण विकास आयुक्त को, का स्थानांतरण मात्र असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है, और स्थानांतरण आदेश में उन परिस्थितियों की बात होनी चाहिए जिनमें स्थानांतरण आवश्यक था।

26- तदनुसार प्रश्न सं- II का जवाब दिया गया है।

27- ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, रिट याचिका सं- 872/2011 (एस/एस) हर सिंह गुसाई बनाम उत्तराखंड राज्य, स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी सं.- 2 द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश दिनांक- 11-07-2011 एतद्द्वारा रद्द किया जाता है। लेकिन रिट याचिका सं-1101/2011 (एस/एस) को खारिज कर दिया गया है, और 27.08.2011 का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है।

(सर्वेश कुमार गुप्ता, जे.) (सुधांशु धूलिया, जे.) (प्रफुल्ल सी. पंत,जे)

18. 09.2012

पारुल